भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सफदरजंग अस्पताल में चिकित्सा भौतिक विज्ञानी के पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं0 एबी.14017/61/2008-स्थापना(आरआर) के अनुपालन में,सफदरजंग अस्पताल में चिकित्सा भौतिक विज्ञानी के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्ति/टिप्पणियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुक पणधारक भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर श्री थेंकोलाल बैटे, (Thenkholal baite) अनुभाग अधिकारी (एमएच-II), कमरा सं. 405ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या t.baite12@nic.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

ग. सामंत
(जी. पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23061521

नई दिल्ली
दिनांक : 07/03/2019

(भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख :        2019

**अधिसूचना**

सा.का.नि. . . . . . . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा भौतिक विज्ञानी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, चिकित्सा भौतिक विज्ञानी भर्ती नियम, 2019 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान** – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं|
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**– उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं|
4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी|
5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी|
6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय –समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मेट्रिक्स में स्तर | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| चिकित्सा भौतिक विज्ञानी | 04*(2019)<br><br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 (56100-177500 रुपये) | लागू नहीं होता। | 35 वर्ष तक |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। |
|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) |
| (I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर; के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रेडियोलोजिकल अथवा चिकित्सा भौतिक विज्ञान में परा-विज्ञान स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा मान्यता प्राप्त उतम संसाधनों से सुसज्जित रेडिएशन थेरेपी विभाग में कम से कम 12 माह की इंटर्नशिप।<br>अथवा<br>(II) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एक मुख्य विषय के रूप में भौतिकी के साथ विज्ञान में बेसिक डिग्री; तथा के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रेडियोलोजिकल अथवा चिकित्सा भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री तथा मान्यता प्राप्त उतम संसाधनों से सुसज्जित रेडिएशन थेरेपी विभाग में कम से कम 12 माह की इंटर्नशिप। | लागू नहीं होता। | सीधी भर्ती हेतु एक वर्ष। |

| भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। |
|---|---|
| (10) | (11) |
| (i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा<br>(ii) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा | 50% प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):<br>(क) (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्याल या मान्यता प्राप्त शोध संस्थान के ऐसे अधिकारी:<br>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (47600-151100 रु.) में नियुक्ति के बाद कम से कम दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; और<br>(ख) जो कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताएँ रखते हों। |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (12) | (13) |
| विभागीय पुष्टि समिति (सीधी भर्ती) हेतु :<br>1. संयुक्त सचिव (अस्पताल), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष<br>2. चिकित्सा अस्पताल प्रभाग के प्रभारी उप महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा महनिदेशालय, नई दिल्ली - सदस्य<br>3. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य<br>4. संबन्धित विभाग के अध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य | प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है। |

[ए.12018/06/2018-एमएच-I।]

(जी.पी. सामंत)
अवर सचिव, अस्पताल